UPLL-01-002993-2022

न्यायालय ADJ /Spl Judge SC and ST, Lalitpur
पीठासीन अधिकारी- मो० बाबर खान, (HJS) -UP02742
Criminal Misc Case -735/2022
जानकी प्रसाद
बनाम
इ. संजीव कुमार आदि

16.01.2023-

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये अपराध पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 20.09.22 को समय करीब एक बजे दिन में आवेदक अपने सीनियर अधिवक्ता हरदयाल सिंह एडवोकेट के घर सुन्दरकांड में शामिल होने आया था। तभी देखा कि उनके सीनियर अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में कुछ लोग उनके विद्युत संयोजन पर लगा मीटर खींच कर तोड़ रहे थे तो आवेदक ने मना किया तो उक्त लोग बोले साले चमरे तू हमारे बीच क्यों पड़ रहा है तेरे घर जाकर भी बिजली चेकिंग करके विद्युत चोरी की रिपोर्ट लिखा देंगे। उसने कहा कि उसका मीटर तेज चल रहा है उसको क्यों नहीं बदल रहे हो उसने प्रार्थनापत्र भी दिया है तो संजीव कुमार यादव उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड प्रथम ललितपुर, कृष्णा कुमार वर्मा उर्फ के.के. वर्मा अवर अभियंता विद्युत उपकेन्द्र 66/11KV, संजय कुमार सहायक अभियंता मीटर विद्युत परीक्षणशाला ललितपुर, वर्षा रैकवार अवर अभियंता मीटर विद्युत वितरण खण्ड ललितपुर, आशीष साहू, देवी सिंह व तीन अज्ञात व्यक्ति उसको गाली देते हुये मारने लगे और बोले उसे बिजली चोरी के फर्जी मुकदमें में बंद करायेंगे तब उसे समझ आयेगा। अगर कोई कार्यवाही की तो उसके घर की बिजली काट देंगे वे लोग बिजली विभाग वाले है। घटना को महेन्द्र कुमार पाराशर, मुकेश करमरा व अन्य लोगों ने देखा व बचाया। वह थाने गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। उसने घटना की सूचना एस.पी. ललितपुर को दी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

उक्त के सन्दर्भ में थाना कोतवाली जनपद ललितपुर से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई

Digitally signed by MOHD BABAR KHAN
Date: 2023.01.19 17:19:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोग पंजीकृत नहीं है तथा थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर द्वारा अपनी आख्या में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि दिनांक 20.09.22 को समय लगभग 12.44 बजे पवन कुमार आर्या प्रवर्तन दल ललितपुर मय चैकिंग टीम इ. संजीव कुमार उपखंड अधिकारी, इ. संजय कुमार सहायक अभियंता मीटर, वर्षा रायकवार अवर अभियंता मी., इ. कृष्ण कुमार वर्मा अवर अभियंता, राकेश सिंह संविदा लाइनमैन के साथ मोहल्ला गाँधी नगर नई बस्ती शिशु मन्दिर वाली गलीमें चैकिंग चल रही थी तो श्री हरदयाल सिंह के परिसर में संचालित संयोजन पर स्थापित मीटर की होलोग्राम सीट फटी पायी गयी एवं बड़ी सील टूटी पायी गयी। जिसके संबंध में पवन कुमार आर्या प्रवर्तन दल ललितपुर ने हरदयाल सिंह उपरोक्त के विरूद्ध एंटी पावर थेफ्ट थाना ललितपुर में दिनांक 21.09.22 को मु.अ.सं.-3675/22 धारा 135 भा. वि. अधि. 2003 पंजीकृत किया गया था। हरदयाल लोधी द्वारा दिनांक 20.09.22 को अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम ललिपतुर में विद्युत संयोजन में टेम्पर दर्शाने के कारण प्रार्थनापत्र देकर पैंतीस हजार रूपये जमा कराये गये है। श्री हरदयाल चाहते है कि जब उन्होनें रूपये जमा कर दिये है फिर भी अगले उनके विरूद्ध बिजली थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है इसलिये प्राथमिकी में कार्यवाही से बचने के लिये हरदयाल के पुत्र अनुराग सिंह द्वारा इसी प्रकरण में विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध पेशबंदी में सीजेएम न्यायालय में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत वाद दायर किया है तथा अपने सहयोगी अधिवक्ता (हरिजन) के माध्यम से बढ़ाचढ़ा कर न्यायायल में प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्राथमिकी, जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **Sukhwasi Son Of Hulasi vs State Of Uttar Pradesh reported in 2008 Crl LJ 472 के प्रस्तर 22** में यह अवधारित किया गया है कि-

22. Applications under Section 156(3) Cr. P.C. are now coming in torrents. Provisions under Section 156(3) Cr.P.C. should be used sparingly. They should not be used unless there is something unusual and extra ordinary like miscarriage of justice, which warrants a direction to the Police to register a case. Such applications should not be allowed because the law provides them with an alternative remedy of filing a complaint, therefore, recourse should not normally be permitted for availing the provisions of Section 156(3) Cr.P.C.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Priyanka Srivastava vs State of U.P. reported in (2015) 6 SCC 287 के प्रस्तर संख्या-26** में यह अवधारित किया गया कि-

26. At this stage, it is seemly to state that power under Section 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of the code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the Magistrate. A principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. It protects the citizens but when pervert litigations take this route to harass their fellows citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same.

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **Case No:-4994 of 2017 नीलम देवी बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि "यदि धारा 156(3) के प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पुलिस थाना से आख्या मंगायी जाती है तथा थाना से उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित खारिजा आदेश नियमित व विधि सम्मत है।"

पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार आवेदक के साथ आठ-नौ व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का कथन किया गया है। किन्तु पत्रावली पर मारपीट करने पर आयी चोटों के संबंध में कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध थाना कोतवाली की आख्या से यह विदित होता है कि बिजली विभाग के इ. संजीव कुमार उपखण्ड अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा मोहल्ला गाँधी नगर नई बस्ती शिशु मन्दिर वाली गली में चैकिंग चल रही थी तो श्री हरदयाल सिंह के परिसर में संचालित संयोजन पर स्थापित मीटर की होलोग्राम सीट फटी पायी गयी एवं बड़ी सील टूटी पायी गयी। जिसके संबंध में पवन कुमार आर्या प्रवर्तन दल ललितपुर ने हरदयाल सिंह उपरोक्त के विरूद्ध एंटी पावर थेफ्ट थाना ललितपुर में दिनांक 21.09.22 को मु.अ.सं.-3675/22 धारा 135 भा. वि. अधि. 2003 पंजीकृत किया गया था। हरदयाल लोधी द्वारा दिनांक 20.09.22 को अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम ललिपतुर में विद्युत संयोजन में टेम्पर दर्शाने के कारण प्रार्थनापत्र देकर पैंतीस हजार रूपये जमा कराये गये है। थाने की आख्या व प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के परिशीलन से यह विदित होता है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन किया जा रहा था। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र बढ़ा चढ़ाकर व मनगढंत आरोप लगाकर पेशबंदी में प्रेषित किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य इसप्रकार के नहीं है जिसके संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना कराया

जाना न्यायसंगत प्रतीत हो। अतः प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० उपरोक्तानुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

(मो० बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति एवं अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि.,1989 /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।